V वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने घरेलू वित्तीय बाजारों को विकसित करने और उनमें पहुँच बढ़ाने के लिए सहभागिता को बढ़ाना, पहुंच को आसान बनाना, विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाना, विनियमों को सुव्यवस्थित करना और नवोन्मेषों को बढ़ावा देना जारी रखा। स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान के माध्यम से भारतीय रुपए (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रयास जारी हैं।

V.1 वर्ष 2023-24 के दौरान रिज़र्व बैंक ने कठोर निगरानी के माध्यम से बाजार की अक्षुण्णता सुनिश्चित करते हुए, विभिन्न खंडों में सहभागिता आधार में वृद्धि, पहुंच और लेनदेन मानदंडों की सुविधा और वित्तीय उत्पादों की श्रेणी में विस्तार के माध्यम से वित्तीय बाजारों को और अधिक विकसित करने और पहुँच बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) ने रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) से भिन्न वैकल्पिक बेंचमार्क में संक्रमण करने पर निदेश जारी किए; इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर मांग और सूचना पर देय मुद्रा बाजारों में उधार लेने के लिए अपनी स्वयं की सीमाएं निर्धारित करने की अनुमति देना; पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में सरकारी हरित बॉण्ड को शामिल करके सूची का विस्तार करना; और सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) को उधार लेने और उधार देने की अनुमति देना शामिल है। रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालन, इसकी मौद्रिक नीति रुख़ के अनुरूप विकसित हुए। रिज़र्व बैंक ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के दौर के बावजूद वित्तीय बाजार की सुव्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित किया।

V.2 रिज़र्व बैंक ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने और विनियमित संस्थाओं के लिए अनुपालन भार को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेशी व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना जारी रखा। तदनुसार, विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के प्राधिकार ढांचे; उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के युक्तिकरण; गारंटी और व्यापार विनियमों के युक्तिकरण; और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-II के लिए पर्यवेक्षी ढांचे जैसे कई मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की।

V.3 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड 2 में वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन को शामिल किया गया है। रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालनों की चर्चा खंड 3 में की गई है। खंड 4 में विदेशी व्यापार एवं भुगतान तथा विदेशी वित्तीय प्रवाह के उदारीकरण और विकास से संबंधित उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड 5 में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.4 एफएमआरडी को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), ब्याज दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट डेरिवेटिव बाजारों के विकास, विनियमन और निगरानी का काम सौंपा गया है। विभाग ने 2023-24 के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिदेश के अनुसरण में कई उपाय किए।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.5 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अकेंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडी) के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय को अनिवार्य करने वाले अंतिम निदेश जारी करना *[उत्कर्ष 2.0]* (पैराग्राफ V.6);
- परिचालन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से विनियामक ढांचे की समीक्षा करना, विदेशी मुद्रा (एफएक्स) के कम एक्सपोजर वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न बाजार तक पहुंच को आसान बनाना और यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता वाले ग्राहकों का एक व्यापक समूह अपने बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की सुविधा से लैस है (पैराग्राफ V.7); और
- बाजार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न लेनदेनों के व्यापारागार (ट्रेड रिपॉजिटरी-टीआर) के लिए रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण ढांचे की समीक्षा करना *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.8]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.6 प्राप्त फीडबैक के आधार पर, एनसीसीडी के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय को अनिवार्य बनाने वाले अंतिम निदेश 8 मई 2024 को जारी किए गए हैं।

V.7 विदेशी मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई और 5 जनवरी 2024 को निदेश जारी किए गए।

V.8 ओटीसी डेरिवेटिव के व्यापारागार (टीआर) के लिए रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण ढांचे की समीक्षा की गई। ओटीसी डेरिवेटिव की रिपोर्टिंग के लिए निदेशों को समेकित किया गया और तर्कसंगत बनाया गया। ओटीसी डेरिवेटिव बाजार पर डेटा के प्रसार के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न डेरिवेटिव उत्पादों में सहभागी आधार की चलनिधि और विविधता पर आधारित है।

प्रमुख पहलें

लाइबोर से भिन्न वैकल्पिक बेंचमार्क में संक्रमण को पूरा करना

V.9 30 जून 2023 के बाद सभी लाइबोर सेटिंग्स के प्रकाशन की समाप्ति के साथ, रिज़र्व बैंक ने मई 2023 में अपनी विनियमित संस्थाओं को एक अंतिम परामर्शिका जारी की, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि नए लेनदेन उनके द्वारा या उनके ग्राहकों द्वारा लाइबोर या घरेलू बेंचमार्क - मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त दर (माइफॉर) के माध्यम से नहीं किए जाएँ। माइफॉर के विकल्प के रूप में विकसित, संशोधित माइफॉर (एम-माइफॉर), एक 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया था।

मांग एवं सूचना पर देय मुद्रा बाजारों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए उधार सीमाएं

V.10 रिज़र्व बैंक द्वारा 8 जून 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, एससीबी (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) को जून 2023 में अंतर-बैंक देयताओं के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर मांग एवं सूचना पर देय मुद्रा बाजारों में उधार लेने के लिए अपनी सीमा निर्धारित करने की मंजूरी देकर मुद्रा बाजार परिचालन में अधिक लचीलेपन की अनुमति दी गई थी।

गैर सुपुर्दगी-योग्य व्युत्पन्न संविदा (एनडीडीसी) बाजार का विकास

V.11 जैसा कि 6 अप्रैल 2023 को रिज़र्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) में कार्यरत प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों को जून 2023 में निवासी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के उद्देश्य से आईएनआर-एनडीडीसी की पेशकश करने की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य गैर सुपुर्दगी-योग्य आईएनआर डेरिवेटिव के लिए ऑनशोर बाजार विकसित करना

है और उन्हें अपने हेजिंग कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक डिजाइन करने के लिए सुविधा प्रदान करना है।

पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत सरकारी हरित बॉण्ड को शामिल करना

V.12 अनिवासियों को 1 अप्रैल 2020 से एफएआर के तहत बिना किसी प्रतिबंध के सरकारी प्रतिभूतियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। एफएआर के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार 8 नवंबर 2023 को किया गया था ताकि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वर्ष 2023-24 में जारी सभी सरकारी हरित बॉन्डों को शामिल किया जा सके।

अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं की चेतावनी सूची

V.13 अनधिकृत संस्थाओं/इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म (ईटीपी) की पेशकश या प्रचार करने वाली अनधिकृत संस्थाओं की 'चेतावनी सूची' [सितंबर 2022 में प्रकाशित] जून 2023 और नवंबर 2023 में अद्यतन की गई थी।

सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूति उधार देने और लेने की शुरुआत

V.14 दिनांक 8 फरवरी 2023 को रिज़र्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, दिसंबर 2023 में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभूतियों को उधार देने और लेने की अनुमति दी गई थी, जिसका उद्देश्य निवेशकों को अपनी निष्क्रिय प्रतिभूतियों को विनियोजित करने के माध्यम से पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने और जी-सेक बाजार में पहुँच बढ़ाने का अवसर प्रदान करना था।

वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों (एफबीए) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

V.15 एफबीए के लिए पहली बार जून 2019 में जारी किए गए विनियामक ढाँचे की समीक्षा की गई थी तथा 10 अगस्त 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों से संबंधित सभी बेंचमार्क के प्रशासन को कवर करने वाला एक व्यापक जोखिम-आधारित विनियामक ढाँचा दिसंबर 2023 में लागू किया गया। ढांचे के अंतर्गत, एफबीए के लिए अभिशासन और निरीक्षण व्यवस्था, नियंत्रण और पारदर्शिता का पालन करना और हितों के टकराव से बचना अपेक्षित है ताकि बेंचमार्क की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर निदेशों की समीक्षा

V.16 एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सीपी और एनसीडी पर निदेशों की समीक्षा की गई और जनवरी 2024 में संशोधित निदेश जारी किए गए ताकि इन बाजारों में जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य सहभागियों के संदर्भ में उत्पादों में अनुरूपता लाई जा सके।

सरकारी प्रतिभूतियों पर बॉण्ड वायदा का सूत्रपात

V.17 घरेलू वित्तीय बाजार में उपलब्ध ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार करने और बाजार सहभागियों, विशेष रूप से दीर्घकालिक निवेशकों को उनके नकदी प्रवाह और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों पर बॉण्ड वायदा की अनुमति देने वाले मसौदा निदेश, दिसंबर 2023 में हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगने के लिए जारी किए गए।

विदेशी मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

V.18 विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई और संशोधित निदेश 7 अप्रैल 2020 को जारी किए गए थे। इस संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर, विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई और 5 जनवरी 2024 को संशोधित निदेश जारी किए गए। इन निदेशों में सभी प्रकार के लेनदेनों – ओवर द काउंटर (ओटीसी) और एक्सचेंज ट्रेडेड - के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को समेकित कर एक ही मास्टर निदेश के तहत लाया गया।

अनुमत विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी उत्पादों के समूह का विस्तार कर, उपयोगकर्ता वर्गीकरण ढांचे को परिष्कृत किया गया ताकि आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह को अपने जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

वैश्विक बॉण्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करना

V.19 प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड (आईजीबी) को शामिल करने की घोषणा, घरेलू बॉण्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की अधिक भागीदारी में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही है (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1
भारत सरकार के प्रतिभूति बाजार में प्रमुख घटनाक्रम

भारतीय बॉण्ड बाजार सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में से एक है, जिसका अनुमानित आकार 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्षों से किए गए सुधारों से प्रेरित, भारत में गिल्ट बाजार ने समुत्थानशीलता प्रदर्शित करते हुए पहुँच, चलनिधि और स्फूर्ति प्राप्त की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में बिना किसी समष्टि-विवेकपूर्ण सीमा के निवेश के लिए एफएआर मार्ग अप्रैल 2020 में प्रस्तुत किया गया था। एफएआर के तहत, सरकारी प्रतिभूतियों के समूह के साथ-साथ सरकारी हरित बॉण्ड को समय-समय पर 5, 7, 10, 14 और 30 वर्षों की अवधि के साथ विस्तारित किया गया है। एफपीआई द्वारा निवेश की परिचालन सुलभता बढ़ाने के उपाय भी किए गए, जिनमें बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में अपने लेनदेन के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफपीआई को उधार देने की अनुमति देना और ट्रेड-रिपोर्टिंग के लिए ऑनशोर बाजार घंटों की समाप्ति होने के बाद एक विस्तारित समयावधि प्रदान करना शामिल हैं। इसके समानांतर, इन संस्थाओं द्वारा ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और ऋण जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू डेरिवेटिव बाजारों में एफपीआई सहित अनिवासियों की पहुंच को सक्षम/आसान बनाया गया है।

अप्रैल 2020 में एफएआर की शुरुआत और संबंधित बाजार सुधारों के बाद, भारत सरकार के बॉण्ड (आईजीबी) प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल किए जाने के लिए विचाराधीन हैं। वर्ष 2021 में आईजीबी को दो प्रमुख सूचकांक प्रदाताओं द्वारा वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल करने के लिये निगरानी सूची (वॉचलिस्ट) में रखा गया था। 21 सितंबर 2023 को एक सूचकांक प्रदाता ने जून 2024 से उभरते बाजारों के अपने सूचकांकों के समूह में आईजीबी को शामिल करने की घोषणा की, जिसमें निर्धारित समावेशन मानदंडों[1] को पूरा करते हुए एफएआर के तहत जारी किए गए सरकारी बॉण्ड, सूचकांक में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं। इस समावेशन के 10 महीने (28 जून 2024 से 31 मार्च 2025 तक) की अवधि में क्रमबद्ध तरीके से पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें हर महीने एक प्रतिशत का वृद्धिशील भार जोड़ा जाएगा। इस प्रकार सूचकांक में भारत का समग्र भार 10 प्रतिशत रहेगा। एक अन्य सूचकांक प्रदाता ने 8 जनवरी 2024 को अपने उभरते बाजार सूचकांक में इंडिया एफएआर बॉण्ड के प्रस्तावित समावेश पर प्रतिक्रिया मांगने के लिए परामर्श लिया। इसके बाद 5 मार्च 2024 को घोषणा की गई कि एफएआर के तहत कवर किए गए और निर्धारित समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले आईजीबी[2] को इसके उभरते बाजार (ईएम) स्थानीय मुद्रा सरकारी सूचकांक और संबंधित सूचकांकों में सम्मिलित किया जाएगा। बॉण्ड को शुरू में 31 जनवरी 2025 तक उनके पूर्ण बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर भार के साथ शामिल किया जाएगा, और 10 प्रतिशत की मासिक वृद्धि के माध्यम से बढ़ोतरी की जाएगी, जो अक्टूबर 2025 तक उत्तरोत्तर पूर्ण बाजार मूल्य तक बढ़ जाएगी।

बाजार सहभागियों का अनुमान है कि वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में आईजीबी को शामिल करने से विदेशी निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की मांग बढ़ेगी और अधिक प्रतिफल प्राप्त होने की प्रत्याशा है। इसके साथ-ही-साथ, कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए ऋण लागत में भी संभावित धनात्मक प्रभाव-विस्तार होगा। जी-सेक बाजार की बाजार चलनिधि को बढ़ावा देने और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में सुधार करते हुए, ऑनशोर बाजार में हेजिंग संबंधित उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।

हालांकि, एफपीआई प्रवाह में वृद्धि और घरेलू बाजारों में अधिक अनिवासी भागीदारी से अस्थिरता बढ़ सकती है, विशेषकर जोखिम-मुक्त वैश्विक स्थितियों के दौरान। इन जोखिमों के नियंत्रित होने की संभावना है क्योंकि सूचकांक आधारित निवेश निष्क्रिय हैं और भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासी निवेश, बकाया स्टॉक का लगभग 2 प्रतिशत है जो निरपेक्ष रूप से कम है तथा उभरते बाजार के अधिकांश एशियाई समकक्षियों के सापेक्ष भी है।

[1] सूचकांक प्रदाता ने 21 सितंबर 2023 को अपने 2023 ईएम इंडेक्स गवर्नेंस परिणामों के माध्यम से संकेत दिया कि 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (समतुल्य) से अधिक कल्पित बकाया और कम-से-कम 2.5 वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले सभी एफएआर बॉण्ड सूचकांक में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, भारत की बीबीबी- / बीबीबी- / बीएए3 (फिच/ एस एंड पी/ मूडीज) की स्थानीय मुद्रा कर्ज रेटिंग, इसे 'जीबीआई-ईएम ग्लोबल डायवर्सिफाइड आईजी 15% कैप' सूचकांक में शामिल करने के लिए योग्य बनाती है।

[2] समावेशन मानदंडों के अनुसार, प्रतिभूतियों में ₹10 बिलियन की न्यूनतम राशि बकाया होनी चाहिए और उन्हें उभरते बाजार-स्थानीय मुद्रा सूचकांक के सामान्य नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि बॉण्ड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि एक वर्ष की होनी चाहिए।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.20 वर्ष 2024-25 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए वैध इकाई सूचक (एलईआई) आवश्यकताओं के तहत बेहतर एकत्रीकरण और पारदर्शिता; ओटीसी व्युत्पन्नी लेनदेनों के लिए वैश्विक सूचक (जैसे, विशिष्ट लेनदेन सूचक) *[उत्कर्ष* 2.0];
- घरेलू वित्तीय बाजारों के विकास और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार लिखतों के लिए ईटीपी प्राधिकरण हेतु विनियामक ढांचे की समीक्षा; और
- रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) के लिए एक ढांचे का विकास।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.21 एफएमओडी मुख्य रूप से मौद्रिक नीति रुख़ के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के संचालन के लिए जिम्मेदार है तथा ऑनशोर और ऑफशोर बाजार परिचालनों, दोनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.22 वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मौद्रिक नीति रुख़ के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालन (पैराग्राफ V.23);
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन (पैराग्राफ V.24); और
- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण ताकि निरंतर आधार पर बाजार परिचालन कार्यनीतियों का मार्गदर्शन किया जा सके *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.25]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.23 वर्ष 2023-24 के दौरान, बदलती चलनिधि स्थिति के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन[3] को दो-तरफ़ा परिचालनों के माध्यम से आयोजित किया गया - परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) और परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी मुख्य परिचालन बनी रही। यह ₹2000 की बैंक नोटों को हटाने से उत्पन्न अधिशेष चलनिधि की स्थितियों के बीच वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (आई-सीआरआर) द्वारा पूरित रही। रिज़र्व बैंक ने अग्रिम कर और वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) बहिर्वाह से जुड़ी घर्षणात्मक चलनिधि स्थितियों के प्रत्युत्तर में विभिन्न अवधियों की वीआरआर नीलामी भी आयोजित की। सितंबर की शुरुआत से आई-सीआरआर की सुविचारित समाप्ति ने चलनिधि स्थितियों को सुगम बनाया। सरकारी नकदी शेष राशि की अधिकता और प्रणाली में अत्यधिक विषम चलनिधि वितरण ने बैंकों को 2023-24 की तीसरी तिमाही में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया, जबकि स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत भी निधि नियोजित की गई। इसके प्रत्युत्तर में, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अवधियों के वीआरआर परिचालनों का परिष्करण (फाइन-ट्यून) किया तथा सप्ताहांत और अवकाश के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ, दोनों के अंतर्गत चलनिधि सुविधाओं के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी। वर्ष 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में, रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च 2022 को आयोजित 5 बिलियन यूएस डॉलर के लिए यूएसडी/आईएनआर बिक्री-खरीद-अदला-बदली (सेल बाय स्वैप) नीलामी के दूसरे चरण तथा विभिन्न अवधियों की मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर नीलामियों के माध्यम से चलनिधि का प्रबंधन किया।

[3] इस रिपोर्ट के अध्याय III में चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से संबंधित विवरण शामिल हैं।

V.24 यूएस फेडरल रिज़र्व की मौद्रिक नीति के रुख़ और भू-राजनीतिक तनावों के कारण, भारतीय रुपए (आईएनआर) को वैश्विक वित्तीय बाजारों से उत्पन्न अस्थिरता के दौर का अनुभव करना पड़ा। जबकि एफपीआई अंतर्वाह, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और चालू खाता घाटे में कमी से भारतीय रुपये को समर्थन मिला, वहीं भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में दीर्घावधि के लिए उच्च ब्याज दरों की प्रत्याशाओं के बीच सुरक्षित आश्रय मांग को दर्शाने वाले मजबूत यूएसडी ने भारतीय रुपये (आईएनआर) पर मूल्यह्रास दबाव बनाया। रिज़र्व बैंक ने ऑनशोर/ऑफशोर ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) खंडों में परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में मध्यक्षेप किया ताकि व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखा जा सके और विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके।

V.25 विभाग ने पोर्टफोलियो प्रवाहों और विनिमय दर में उतार-चढ़ावों; अस्थिरता के प्रसंगों और भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों; और संगत बेंचमार्क में वाणिज्यिक पत्र दर के चालकों को शामिल करने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कार्य किए।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.26 वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग की योजना निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की है:

- सुचारु और अधिक लचीले चलनिधि प्रबंधन परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन;
- चलनिधि समायोजन सुविधा पर समेकित अनुदेश जारी करना;
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अधिक अस्थिरता को रोकने के लिए, सकेंद्रित विदेशी मुद्रा परिचालन शुरू करने के लिए मध्यक्षेप साधन बढ़ाना; और
- निरंतर आधार पर बाजार परिचालन कार्यनीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण *(उत्कर्ष 2.0)*।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.27 एफईडी को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार, विभाग ने वर्ष के दौरान विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा, जिसमें कारोबारी सुगमता को बढ़ाने और अनुपालन भार को कम करने के लिए सरल लेकिन व्यापक, समय-संगत और अधिक सिद्धांत-आधारित नीतियां तैयार की गईं। वर्ष के दौरान मौजूदा समष्टि-आर्थिक स्थितियों और बदलती कारोबारी पद्धतियों और मॉडलों के अनुरूप, फेमा के अंतर्गत जारी वर्तमान विनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं की समीक्षा/युक्तिकरण भी किया गया।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.28 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज नियमों की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.29];
- फेमा के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के प्राधिकरण ढांचे की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.30];
- उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को युक्तिसंगत बनाना [*उत्कर्ष* 2.0] (पैराग्राफ V.31);
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमन, 2016 पर विनियमों को युक्तिसंगत बनाना *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.32];
- अनिवासियों के रुपया खातों से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.33];

- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान का तरीका और गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमन, 2019 को युक्तिसंगत बनाना (पैराग्राफ V.34);
- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ V.35);
- गारंटी विनियमों को युक्तिसंगत बनाना (पैराग्राफ V.36); और
- व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों का युक्ति-संगतिकरण/सरलीकरण *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.37]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.29 विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियम 2023 [मौजूदा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियम, 2000 का अधिक्रमण करने के लिए] की समीक्षा प्रक्रियाधीन है। इस समीक्षा में, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न पदों पर रिज़र्व बैंक अधिकारियों द्वारा कंपाउंडिंग करने के लिए ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि की मौद्रिक उच्चतम सीमाओं को बढ़ाना, कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक और अन्य ऑनलाइन माध्यमों को सुलभ बनाना तथा प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जांच/न्याय-निर्णयन के विभिन्न चरणों वाले मामलों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सरल बनाना शामिल है।

V.30 फेमा के तहत जारी प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की समीक्षा पिछली बार मार्च 2006 में की गई थी। तब से एपी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जबकि नए कारोबार मॉडल भी सामने आए हैं। पिछले दो दशकों में फेमा के अंतर्गत प्रगामी उदारीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण, भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण और संस्थागत संरचना के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए लाइसेंसिंग ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, फेमा के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए लाइसेंसिंग ढांचे का मसौदा रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 26 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सभी हितधारकों से टिप्पणियां/फीडबैक मांगे गए थे। मसौदा ढांचे को प्राप्त फीडबैक के आधार पर तथा उचित आंतरिक जांच के साथ-साथ भारत सरकार की सम्मति के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

V.31 एलआरएस के तहत, प्राधिकृत व्यापारी किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) निवासी व्यष्टियों द्वारा 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक के विप्रेषण की स्वतंत्र रूप से अनुमति दे सकते हैं। योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ विधिक ढांचे, वार्षिक सीमा, अनुमत प्रयोजनों और प्रत्यावर्तन आवश्यकताओं को शामिल करते हुए, योजना में विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जा रही है।

V.32 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमन 2023 को 21 दिसंबर 2023 को जारी करने के माध्यम से, भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। युक्तिसंगत विनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख संशोधन शामिल हैं:

- विनियमों को सरल बनाया गया है जिससे उनकी पठनीयता और समझ में सुधार आया है;
- पिछले विनियमों में विदेशी मुद्रा में प्राप्ति/भुगतान केवल स्वतंत्र रूप से संपरिवर्तनीय मुद्राओं के लिए अनुमत था। संशोधित विनियम किसी भी विदेशी मुद्रा में प्राप्ति/भुगतान को सक्षम बनाते हैं, जो भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान में सहायक होगा; और

- पिछले विनियमों में गैर-एशियाई मुद्रा संघ (एसीयू) देशों के लिए सभी सीमा-पार लेनदेनों (चालू एवं पूंजी) के लिए भारतीय रुपये (आईएनआर) की प्राप्ति/भुगतान की अनुमति थी, जबकि एसीयू के कुछ देशों (यथा बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और मालदीव) के संबंध में ऐसी प्राप्ति/भुगतान की अनुमति नहीं थी। संशोधित विनियम, अब एसीयू के सभी देशों के लिए गैर-व्यापार संबंधी लेनदेनों के संबंध में और व्यापार संबंधी लेनदेनों के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार आईएनआर निपटान को समर्थ बनाते हैं।

V.33 भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान का समर्थन करने के लिए, अनिवासियों के लिए आईएनआर खातों से संबंधित विनियमों को उदार बनाना आवश्यक है। तदनुसार, अनिवासियों द्वारा आईएनआर खातों के संबंध में, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) विनियमन [फेमा 5(आर)] की वर्तमान में सरकार के परामर्श से समीक्षा की जा रही है।

V.34 वर्तमान में फेमा विनियमन संख्या 395 के संदर्भ में निर्धारित भुगतान के तरीकों और रिपोर्टिंग आवश्यकता से संबंधित विनियमों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव, विभाग में समीक्षाधीन हैं। समीक्षा में विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखतें) नियम, 2019 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न संशोधनों के कारण वर्तमान ढांचे में आवश्यक परिवर्धन/संशोधन शामिल किए जाएंगे।

V.35 फेमा के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की जारी समीक्षा के अनुरूप, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) श्रेणी-II के लिए पर्यवेक्षी ढांचे की व्यापक समीक्षा की जा रही है। संशोधित दिशानिर्देश/अनुदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

V.36 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों की समीक्षा की जा रही है ताकि सीमा पार लेन-देन करते समय बदलती हुई समष्टि-आर्थिक स्थितियों, कारोबार आवश्यकताओं और भारत के निवासी व्यष्टियों के समक्ष आने वाले मुद्दों को परिलक्षित किया जा सके। इस अभ्यास का उद्देश्य अनुमोदन की आवश्यकता को कम करके कारोबारी सुगमता में सुधार लाना है।

V.37 अधिक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, कारोबारी सुगमता में सुधार लाकर और अनावश्यक प्रावधानों/प्रक्रियाओं और विभिन्न अनुमोदनों को समाप्त करके - व्यापारिक लेनदेनों के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए, व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों का युक्तिकरण/सरलीकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रमुख पहलें

'एपी-कनेक्ट' का परिचालन – संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक एडी श्रेणी- II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन

V.38 डिजिटलीकरण की दिशा में प्रक्रिया को सरल बनाने और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए एक प्रयास के रूप में, एक नई सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, 'एपी-कनेक्ट', अप्रैल 2023 में सफलतापूर्वक लागू की गई थी। यह एप्लिकेशन, अन्य बातों के साथ-साथ, एफएफएमसी और गैर-बैंक एडी श्रेणी-II संस्थाओं को लाइसेंस देने, मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) एजेंट को प्राधिकार देने, मौजूदा लाइसेंस/प्राधिकार के नवीनीकरण और प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विवरणों/विवरणियों को प्रस्तुत करने के अनुरोधों पर कार्रवाई करने की सुविधा प्रदान करती है। प्रणाली के कारण प्राधिकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सभी हितधारकों के लिए परिचालन दक्षता में सुधार आया है और लागत बचत हुई है एवं कागजी कार्रवाई और श्रमशक्ति आवश्यकताओं में कमी आयी है। इससे रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में संबद्ध कार्यों के संचालन में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।

एडी श्रेणी-II - फॉर्म ए2 का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण

V.39 एलआरएस पर मास्टर निदेश तथा अन्य विप्रेषण सुविधाओं पर मास्टर निदेश में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों के लिए आयात और मध्यवर्ती व्यापार लेनदेन के अलावा अन्य प्रेषण करते समय फॉर्म ए2 प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अन्य विप्रेषण सुविधाओं पर मास्टर निदेश के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने वाले एडी बैंकों के ग्राहक, व्यक्तियों द्वारा 25,000 अमेरिकी डॉलर (या इसके समतुल्य) तक और प्रमुख कंपनियों (कॉरपोरेट) द्वारा 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (या इसके समतुल्य) तक के प्रेषण के लिए फॉर्म ए2 ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस संदर्भ में, ग्राहक सुविधा और निपटान समय में सुधार लाने के लिए एडी श्रेणी-II संस्थाओं को 12 अप्रैल 2023 से फॉर्म ए2 को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देने की भी मंजूरी दी गई थी।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत आईएफएससी को विप्रेषण

V.40 रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2021 में भारत में निवासी संस्थाओं/कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अलावा, लेकिन आईएफएससी के बाहर जारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए आईएफएससी को एलआरएस के तहत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक के प्रेषण की अनुमति दी थी। हालांकि, विदेशी क्षेत्राधिकारों की तुलना में आईएफएससी पर लागू एलआरएस विप्रेषण सुविधा की विशेषताओं में कुछ अंतर थे। उदाहरण के लिए, निवासी व्यष्टि आईएफएससी में केवल एक ब्याज-रहित विदेशी मुद्रा खाता बनाए रख सकते थे और ऐसे खातों में जमा किसी भी अप्रयुक्त निधि को 15 दिनों के भीतर प्रत्यावर्तित करना पड़ता था। समीक्षा करने पर और आईएफएससी के लिए एलआरएस को अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों की तुलना में संरेखित करने के उद्देश्य से, खाते में पड़ी किसी भी अप्रयुक्त निधि को इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर वापस करने की शर्त को हटा दिया गया था। साथ ही, इस तरह के प्रेषणों के लिए अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों में लागू अवधि यानी 180 दिनों के साथ इसे 26 अप्रैल 2023 से संरेखित किया गया था।

V.41 इसके अलावा, आईएफएससी को विदेशी क्षेत्राधिकार के रूप में केवल वित्तीय सेवाओं के प्रयोजन कार्यान्वित करने की अनुमति है और इसलिए यात्रा, शिक्षा, उपहार आदि जैसे चालू खाता लेनदेनों या पूंजी खाता लेनदेनों जैसे अचल संपत्ति की खरीद के लिए विप्रेषण, आईएफएससी के लिए लागू नहीं होते हैं। दिनांक 16 फरवरी 2021 के परिपत्र के माध्यम से आईएफएससी को एलआरएस विप्रेषण की अनुमति केवल प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए दी गई थी। भारत सरकार ने 23 मई 2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत, आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले चुनिंदा पाठ्यक्रमों को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया है। इसलिए, 22 जून 2023 से आईएफएससी में निवासी व्यष्टियों द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के लिए विप्रेषण को एलआरएस के तहत निश्चित प्रयोजन, यानी 'विदेश में अध्ययन' के लिए सुलभ बनाया गया है।

विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड/स्टोर मूल्य कार्ड/यात्रा कार्ड पर प्रभार लगाना

V.42 भारत में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कुछ प्राधिकृत व्यक्ति, भारत में देय विदेशी मुद्रा प्री-पेड कार्ड/स्टोर मूल्य कार्डों पर प्रभार/शुल्क लगाते रहे हैं। प्राधिकृत व्यक्तियों और निवासियों के बीच ये लेन-देन अनिवार्य रूप से दो निवासियों के बीच घरेलू लेनदेन हैं, और इनके परिणामस्वरूप निवासी को कोई विदेशी मुद्रा जोखिम वहन नहीं करना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सूचित करते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारत में देय किसी भी शुल्क/प्रभार को केवल भारतीय रुपए में ही मूल्यवर्गित कर उसका निपटान किया जाना चाहिए।

आईएफएससी प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित अर्हता-प्राप्त जौहरियों द्वारा चांदी के आयात पर दिशानिर्देश

V.43 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की 11 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के अनुसार, अर्हता-प्राप्त जौहरियों

(आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को रिज़र्व बैंक (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामांकित एजेंसियों के अलावा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड पर आधारित विशिष्ट भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आईटीसी) के तहत चांदी आयात करने की अनुमति है। इसके अनुसार, एडी बैंकों को 10 नवंबर 2023 से निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, आईएफएससी में आईआईबीएक्स के माध्यम से चांदी के आयात के लिए अर्हता-प्राप्त जौहरियों (आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान करने की अनुमति दी गई है।

भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान - निर्यात आगम के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना

V.44 रिज़र्व बैंक के 11 जुलाई 2022 के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, निर्यातकों को अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता (एसआरवीए) बनाए रखने वाले एडी श्रेणी-I बैंकों को 17 नवंबर 2023 से उनके निर्यातक घटकों के लिए अनन्य रूप से उनके निर्यात लेनदेनों के निपटान हेतु एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति है।

सीआईएमएस परियोजना कार्यान्वयन – परंपरागत एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) में प्रस्तुति को बंद करना

V.45 रिज़र्व बैंक द्वारा नेक्स्ट जेनरेशन डेटा वेयरहाउस यथा केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के 30 जून 2023 को शुभारंभ के साथ, एडी श्रेणी-I बैंकों द्वारा एक्सबीआरएल साइट के माध्यम से सात विवरणियों की प्रस्तुति बंद कर दी गई है और सीआईएमएस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दी गई है।

आईएफएससी प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचित भारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश

V.46 डीजीएफटी अधिसूचना दिनांक 20 नवंबर 2023 के अनुसरण में, एडी बैंकों को 25 मई 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र में उल्लिखित निदेशों के अधीन, आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत वैध टीआरक्यू धारकों को, 31 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले टीआरक्यू के तहत आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात के लिए 11 दिनों के अग्रिम भुगतान प्रेषण की अनुमति दी गई है।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और डिजिटल सामग्री का सृजन करना

V.47 केंद्रीय कार्यालय में किए जा रहे विनियमों के सरलीकरण की पहल को पूरा करने के लिए, विभाग द्वारा जागरूकता पहल के रूप में रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान विभाग ने एपी और फेमा प्रदर्शनी-सह-टाउनहॉल कार्यक्रमों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं, जहां व्यापार और उद्योग निकायों एवं विदेशी मुद्रा के उपयोगकर्ताओं ने भाग लिया। इन जागरूकता कार्यक्रमों का उपयोग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हाल के नीतिगत परिवर्तनों की व्याख्या करने और बुनियादी स्तर पर कार्यान्वयन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए भी किया जा रहा है।

एडी बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को शक्तियों का प्रत्यायोजन

V.48 मुख्य रूप से ग्राहक सेवा/निपटान समय में सुधार लाने और विभाग को नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने के लिए, एडी बैंकों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

- उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमन 2022 में विलंब प्रस्तुतिकरण शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी जिसे सात विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों (यथा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली) में लागू किया गया। इसके बाद, परिचालन प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने और एलएसएफ आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए निपटान

समय को कम करने के लिए, एलएसएफ राशि के संग्रह हेतु ऑनलाइन प्रसंस्करण और ऑनलाइन भुगतान मोड को सक्षम करके प्रक्रिया को सरल बनाया गया था। तदनुसार, सात नामित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिपुष्टि के लिए एसओपी का एक संशोधित संस्करण जारी किया गया है; और

- इससे पहले, पारदेशीय निवेश प्रभाग (ओआईडी) के आवेदन पर देरी के साथ रिपोर्ट किए गए पारदेशीय निवेश लेनदेनों के लिए रिज़र्व बैंक से अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती थी। ओआईडी आवेदन के तहत एलएसएफ आवेदनों के ऑनलाइन प्रसंस्करण की शुरुआत के साथ, एडी बैंकों को ऐसे लेनदेनों का रिकॉर्ड रखने की शक्तियां एलएसएफ के भुगतान के अधीन, जहां भी लागू हो, सौंपी गई हैं। इस उपाय से ऐसी विलंबित रिपोर्टिंग की पुष्टि के लिए समय को कम करने और बाद की रिपोर्टिंग के तीव्र प्रसंस्करण को सक्षम बनाने की उम्मीद है।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.49 विभाग की वर्ष 2024-25 के लिए रणनीति, रिज़र्व बैंक के मध्यमावधि कार्यनीति ढांचे के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ, उपरोक्त सभी पहलों को समेकित कर उन्हें आगे बढ़ाने की होगी। इसका प्राथमिक केंद्रबिंदु बदलते समष्टि-आर्थिक वातावरण के साथ फेमा परिचालन ढांचे के निरंतर ताल-मेल पर जोर देने के साथ, विभिन्न दिशानिर्देशों के युक्तिकरण पर होगा। तदनुसार, विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित रणनीतिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है:

- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए प्राधिकार ढांचे की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* ;
- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे का उदारीकरण;
- बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग एवं अनुमोदन के लिए सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म (स्पेक्ट्रा) परियोजना हेतु चरण-I के लिए 'गो-लाइव';
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विनियमनों को युक्तिसंगत बनाना *(उत्कर्ष 2.0)* ;
- प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमनों का युक्तिकरण;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान का तरीका और गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमनों का युक्तिकरण;
- भारतीय रुपये (आईएनआर) का अंतरराष्ट्रीयकरण:
  - भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों (पीआरओआई) को भारत के बाहर आईएनआर खाता खोलने की अनुमति देना [*उत्कर्ष* 2.0];
  - भारतीय बैंकों द्वारा पीआरओआई को आईएनआर उधारियाँ; और
  - विशिष्ट खातों [यथा विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर) और विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता (एसआरवीए)] के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और पोर्टफोलियो निवेश को सुलभ बनाना]।
- विदेशी मुद्रा लेनदेनों की व्यापक एकीकृत रिपोर्टिंग के लिए एक ढांचा बनाना;
- अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों की तुलना में गांधीनगर, गुजरात में गिफ्ट सिटी[4] की भूमिका को बेहतर बनाने के उपाय:
  - विभिन्न विदेशी मुद्राओं के लिए एफसीवाई-आईएनआर जोड़े की ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करना; तथा

[4] गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी।

- फेमा के तहत आईएफएससी विनियमनों की समीक्षा।

- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज नियमों की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* ;
- एलआरएस को युक्तिसंगत बनाना *(उत्कर्ष 2.0)*; और
- आवक विप्रेषण योजनाओं, यथा एमटीएसएस और रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) को युक्तिसंगत बनाना [*उत्कर्ष* 2.0]।

5. निष्कर्ष

V.50 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने, निवेशक आधार का विस्तार करने और विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन भार को कम करने पर जोर देने के साथ, बदलती कारोबारी प्रथाओं और मॉडलों के अनुरूप विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कई उपाय किए। वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड को शामिल करने की घोषणा से, सरकारी प्रतिभूति बाजार की चलनिधि, मूल्य निर्धारण और सहभागिता आधार में विविधता बढ़ाने के संबंध में एक लाभकारी प्रभाव होने की उम्मीद है। स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने की दिशा में विनियमों को युक्तिसंगत बनाया गया। आगे चलकर, चलनिधि परिचालन मौद्रिक नीति के रुख़ के अनुरूप होते रहेंगे, जबकि विदेशी मुद्रा परिचालन, रुपये की विनिमय दर में व्यवस्थित उतार-चढ़ाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देशित होंगे।